

कार्यालय उपवनमंडलाधिकारी पाली (क्षेत्र), म०प्र०

पता: पाली - 342001, Rajasthan, India. Phone: 9414794544

क्र०/शि०लि०/-877
प्रति,

पाली, दि० 18/9/2017

वनमंडलाधिकारी
वनमंडल उमरिया (म०प्र०)

विषय - वाम तुम्मीछोट, तह० पाली, जिला उमरिया (म०प्र०) के शासकीय आरक्षी खसत क्र० 124 रकबा 2,383 हे० क्षेत्र पर खनिज मन्थन (क्रेसर गिट्टी निर्माण हेतु) उपखनित पट्टा के संख्या में जीव प्रतिवेदन।
संदर्भ - आपका पृ०क्र०/मा०प्रि०/10056 दि० 31.12.2016

-00-

उपरोक्त विषय में विवेचन है कि आर्सेनित स्थल वाम तुम्मीछोट, तह० पाली, जिला उमरिया (म०प्र०) के शासकीय आरक्षी खसत क्र० 124 रकबा 2,383 हे० क्षेत्र पर खनिज मन्थन (क्रेसर गिट्टी निर्माण हेतु) उपखनित पट्टा के स्थल की जीव परिक्षण सहायक पाली, राजस्व विभाग के अंगणों, राजस्व निरीक्षण सह० पाली तथा सीटीआई बरहाई एवं आयेदक श्री अभियेक मिश्र मार्ड नं० 29 पुरानी बस्ती शाहबोल की उपस्थिति में संतुष्ट रूप से किया गया। विन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है।


1. आर्सेनित क्षेत्र वामतुम्मी नदी है, बालिक राजस्व भूमि है।
2. उक्त प्रस्तावित भूमि (आर्सेनित स्थल) राजस्व भूमि है। जो वनसीमा क्र० 220 आर.एन.542 के मुताबिक क्र० 227 से लगभग 370 मी० मूरी पर है।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व भूमि है, जिसका खसत नं० 124 रकबा 2,383 हे० है। जिसमें कोई भी कुल एवं झाड़ी नहीं है। भूमि वर्तमान में श्री शम्भूचल पिता लत्तू लाल सोनकर तह० पाली के नाम से दर्ज है।
4. आर्सेनित भूमि से 250 मी० की परिधि में कोई भी वनक्षेत्र नहीं है। का 10कि०मी की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान/अप्यारण्य/संरक्षित क्षेत्र विद्यमान क्षेत्र नहीं है।
5. आर्सेनित क्षेत्र में खनिज मन्थन/संरक्षित क्षेत्र में पर्यावरण/वनक्षेत्र पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. आर्सेनित स्थल का GPS रीडिंग नीचे है जो निम्नानुसार है-

जी०पी०एस रीडिंग

A- N-23°18'44.8" E-81°07'55.8" B- N-23°18'48.3" E-81°07'52.0"
C- N-23°18'47.7" E-81°07'52.8" D- N-23°18'49.9" E-81°07'56.5"

आ: स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अधिन कार्यवाही हेतु सादर सम्बोधित है।


- संदर्भ -1. संतुष्ट स्थल निरीक्षण उपखनित, पत्रादी नक्शा तथा गूगल मैप 2 प्रति।
2. विन्दु क्र० 1 से 4 तक की जानकारी।
3. प०प्र० पाली का निरीक्षण प्रतिवेदन की मूल प्रती।


राजुल मिश्रा
उपवनमंडलाधिकारी
पाली (क्षेत्र)



उक्त प्रस्तावित स्थल का संयुक्त स्थान का निरीक्षण कर पर्यावरणीय समिति हेतु निर्धारित फॉर्मिण्ट-1 के बिन्दु सं० 01 से 04 तक की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र०	निर्धारित बिन्दु	हाँ / नहीं	सामकाली विवरण (यदि हाँ है तो कम्प्ले विवरण दें)
1	क्या 10 कि०मी० की परीच में कोई जंगल/पार्क स्थित है?	नहीं	-
2	क्या 10 कि०मी० की परीच में कोई जलवायु स्थल है?	नहीं	-
3	क्या 10 कि०मी० की परीच में कोई जल संचयन क्षेत्र स्थित है?	नहीं	-
4	क्या 250 मीटर की परीच में कोई जंगल स्थित है (यदि हाँ तो दिनांक 07.10.2002 से 29.08.2008 तक स्वीकृत माईनिंग लीज के तहत संचालित किया गया/या से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं दि० 29.08.08 के बाद जारी माईनिंग लीज के तहत प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)	नहीं	-


 राजुल मिश्रा
 सचयनमण्डलधिकारी
 पाली (स०)

कार्यालय क्षेत्रीय वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

Phone: 07982-233817, 8-842174497, E-mail: dfo@umaria.gov.in

क्रमांक / याचिका /
पत्रिका

/ उमरिया, दिनांक /

उपनिज अधिकारी
उमरिया जिला उमरिया (म.प्र.)

विषय: ग्राम तुम्ही छोट रस्तो वाली जिला उमरिया (म.प्र.) के शासकीय आराजो खसरा क्रमांक 124 कुल रकबा 2.383 हे० क्षेत्र पर खनिज परस्पर (कैसर से मिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनन पट्टा के संबंध में अज्ञात/ अभिमत दिवे जाने बाबत।

संदर्भ: आपका पत्र क्र०/3243 दिनांक 27.12.2016

३३

विभागाधीन आवेदक श्री अभिषेक निशा गिजा श्री नारायण निशा गिजासी पार्स नं. 29 पुल्हनी बस्ती राहडोल (म.प्र.) द्वारा आवेदित ग्राम तुम्हीछोट स्थित शासकीय भूमि आराजो नं० 124 रकबा 2.383 हे० क्षेत्र पर खनिज परस्पर (कैसर से मिट्टी निर्माण) हेतु उत्खनन पट्टा के संबंध में प्रस्तावित स्थल का उप वनमण्डलाधिकारी (सि०) पासी से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन लिया गया है।

उप वनमण्डलाधिकारी (सि०) पासी से प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति आवेदक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

पर्यावरणीय अनुभूति के लिए परिशिष्ट-1 के किन्तु क्र० 01 से 04 तक की बाही गई जानकारी विनियानुसार है :-

क्र०	निर्धारित किन्तु	हां/ नहीं	जानकारी विवरण क्र. 1 से 4 तक यदि हां है तो विवरण दें।
1	2	3	4
1	क्या 10 कि०मी० की परिधि में कोई पहात पाई गिजा है ?	नहीं	निरंक
2	क्या 10 कि०मी० की परिधि में कोई जलधारा स्थित है ?	नहीं	निरंक
3	क्या 10 कि०मी० की परिधि में कोई घोषित जल विविधता क्षेत्र स्थित है ?	नहीं	निरंक
4	क्या 250 मी० की परिधि में कोई वन क्षेत्र स्थित है ?	नहीं	निरंक

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

क्रमांक / याचिका /
प्रतिनिधि / 1469

/ उमरिया, दिनांक / 24-3-2018

1. उप वनमण्डलाधिकारी (सि०) पासी की ओर उनसे पत्र क्र०/877 दिनांक 18.09.2017 के संदर्भ में सूचनाएं।

Dasg
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म.प्र.)

उप आवेदक का जन्म तिथि एवं संबंधित कुलमा पंजी की संख्या "880312" जन्म "1982/04/28" हर दोहरा

F:\02300000\000000

ND 11/03/18 06:34:18 PM

कार्यालय तहसीलदार तहसील पाली जिला उमरिया म.प्र.)

पत्रक्र० 1970/खनिज/प्रवाचक/2017

पाली दिनांक 11/9/2017

श्रीमान कलेक्टर महोदय
खनिज शाखा
जिला उमरिया म.प्र.

विषय-सीमांकन किया जाकर स्वीकृत क्षेत्र की जानकारी प्रदान किये जाने बाबत.
संदर्भ-श्रीमान कलेक्टर महोदय खनिज शाखा जिला उमरिया का पत्र क्र. 3245/खनिज/न.क्र. 21/0.1.
/2017 उमरिया दिनांक 27.12.2016

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा श्री अभियेक मिश्र पिता श्री नारायण मिश्र निवासी बाले-नंबर
29 पुरानी बस्ती शहडोल म.प्र. के द्वारा ग्राम तुम्मी छोट तहसील पाली की शासकीय भूमि खसरा नंबर 124
कुल रकबा 2.383 हे० क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर/केशर से गिट्टी निर्माण करने हेतु उल्लिखित 10
वर्ष के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उक्त सम्बन्ध में आपके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन कराकर
प्रतिवेदन भेजने बाबत लेख किया गया है।

उक्त संबंध में दिनांक 21.07.2017 को रा.नि. पाली द्वारा हल्का पटवारी
तुम्मीछोट के साथ संपुक्त रूप से आवेदक श्री अभियेक मिश्र पिता श्री नारायण मिश्र की उपस्थिति में ग्राम
तुम्मी छोट की शासकीय भूमि खसरा नंबर 124 कुल रकबा 2.383 हे० का राजस्व अभिलेख अनुसार
राजस्व पैदाइशी से नापकर सीमांकन किया गया तथा सीमांकित भूमि (पत्थर खदान) के चारों तरफ
सीमांकित अंकित कर सीमांकित भूमि/खदान के सभी कोनों की जानकारी आवेदक को बतलाई गई,
आवेदक ने सभी कोनों को समझना स्वीकार किया है, बंधनामा, प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर श्रीमान
की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

तहसीलदार
तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.)

14/9/17

कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार तहसील

क्रमांक 1970 प्रति

1 कलेक्टर जिला उमरिया

जिला उमरिया (MOPO)

दिनांक 11/9/2017

परिशिष्ट-1

2 सवरूप सचिव (SEIAA) गिया

पर्यावरण परिसर ई-5 अदर कालोनी भोपाल (म.प्र.) परिशिष्ट-1 में बिन्दु

विषय- 5 हेक्टर से कम खनिज उत्खनन की पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट-1 में बिन्दु क्रमांक 05 से 17 के उत्पादन बाबत। संदर्भ-

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री/मेसर्स

श्री/मेसर्स खनिज क्षेत्रफल (हेक्टर में) माइनिंग लीज अवधि 10 वर्ष खतरा क्रमांक तहसील पत्थर जिला उमरिया हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट-1 में बिन्दु क्रमांक 05 से 17 तक की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	निर्धारित बिन्दु	हाँ/नहीं	जानकारी विवरण (यदि हाँ तो दूरी मीटर में प्रदायें)
5	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई मानव बसाहट स्थित है।	हाँ	200 मीटर
6	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थित है।	नहीं	
7	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई चिकित्सालय स्थित है।	नहीं	
8	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई पुरातत्व धरोहर स्थित है।	नहीं	
9	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थित है।	नहीं	
10	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई जलीय निकाय स्थित है।	नहीं	
11	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई नदी स्थित है।	नहीं	
12	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई नाला स्थित है।	नहीं	
13	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई तालाब स्थित है।	नहीं	
14	क्या 500 मीटर की दूरी के अंदर कोई नहर स्थित है।	नहीं	
15	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्य कोई खदान स्थित है। यहाँ हाँ तो उसका कुल क्षेत्रफल	नहीं	
16	1000 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत रेत खदान स्थित है	नहीं	
17	रेत उत्खनन प्रकरण में नदी का नाम	नहीं	
18	अंतर राष्ट्रीय सीमा	नहीं	

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 05 से 17 तक की जानकारी का प्रमाणीकरण जिले/तहसील के उपखंड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त प्रमाणीकरण संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र के माध्यम से जारी किया जायेगा।

Shri. J. K. Singh

तहसीलदार जिला उमरिया तहसील पत्थर जिला उमरिया

प्रतिलिपि- आवेदक श्री/मेसर्स श्री/मेसर्स

हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया (म0प्र0)

क्रमांक / 652 / खनिज / न.क्र.21 / उत्खनिपट्टा / 2016 / 2019

उमरिया दिनांक 14/05/2019

प्रति,

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण


पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयन संगठन पर्यावरण ई-8 अरेरा कालोनी भोपाल (म.प्र.)

विषय:—ग्राम तुम्मीछोट तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0) की शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 124 कुल रकबा 2.383 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण) के लिये उत्खनिपट्टा के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि श्री अभिवेक मिश्रा पिता स्व. श्री नारायण मिश्रा निवासी वार्ड न. 29 पुरानी बस्ती शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) के पक्ष में ग्राम तुम्मीछोट तहसील पाली जिला उमरिया (म0प्र0) की शासकीय भूमि आराजी खसरा क्रमांक 124 कुल रकबा 2.383 हेक्टेयर क्षेत्र पर गौण खनिज पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण) के लिये उत्खनिपट्टा संचालक भौगिकी तथा खनिकर्न भोपाल के आदेश क्रमांक 12011-12/खनिज/न.क्र.05/उ.प./2018 भोपाल दिनांक 25.07.2018 द्वारा आपके पक्ष में अवधि दिनांक 24.01.2019 से 23.01.2029 (10 वर्ष) तक के लिये स्वीकृत किया गया है।

प्रकरण के संबंध में 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत खनि रियायत की जानकारी के संबंध में खनि सर्वेयर जिला उमरिया (म.प्र.) से दिनांक 20.04.2018 को प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में कोई भी खनि रियायत स्वीकृत नहीं है।

अतः प्रकरण के संबंध में खनि सर्वेयर जिला उमरिया (म.प्र.) का प्रतिवेदन संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।
(संलग्न-उपरोक्तानुसार।)



प्रभासी अधिकारी
(खनिज शाखा)

उमरिया-कलेक्टर जिला उमरिया (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक / 653 / खनिज / न.क्र.21 / उत्खनिपट्टा / 2018 / 2019

उमरिया दिनांक 14/05/2019

प्रतिलिपि—श्री अभिवेक मिश्रा पिता स्व. श्री नारायण मिश्रा निवासी वार्ड न. 29 पुरानी बस्ती शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रभासी अधिकारी
(खनिज शाखा)

उमरिया-कलेक्टर जिला उमरिया (म0प्र0)

Abhishek Mishra

प्रति,

श्रीमान खनि अधिकारी महोदय,
(खनिज-शाखा)
जिला उमरिया (म.प्र.)


विषय :- ग्राम तुम्मीछोट, ग्राम पंचायत तुम्मीछोट, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) के शासकीय भूमि आ. ख. नं. 124 रकबा 2.383 है. क्षेत्र पर क्रेशर आधारित गौण खनिज पत्थर के लिए (यांत्रिकी क्रिया से गिट्टी निर्माण हेतु) नवीन उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु खनन क्षेत्र से गौण खनिजों के 5-10 वर्ष तक की अवधि के उत्खनि पट्टों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :- कार्यालय आदेशानुसार.

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक श्री अनिलेक मिश्रा पिता स्व. श्री रामनारायण मिश्रा, निवासी वार्ड नं. 29 पुरानी बस्ती सहडोल तहसील सोहागपुर, जिला सहडोल (म.प्र.) के पक्ष में ग्राम तुम्मीछोट, ग्राम पंचायत तुम्मीछोट, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.) के शासकीय भूमि आ. ख. नं. 124 रकबा 2.383 है. क्षेत्र पर क्रेशर आधारित गौण खनिज पत्थर के लिए (यांत्रिकी क्रिया से गिट्टी निर्माण हेतु) पत्थर खदान नवीन उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु नियमानुसार उत्खनि पट्टा आवेदन पत्र आई डी. क्र. 10283, दिनांक 07.12.2016 को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अंतर्गत स्वीकृत हेतु पत्थर खदान के लिए आवेदित क्षेत्र से नियमानुसार 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत खनि रियायत खदानों की स्थिति, कार्यालयीन अनिलेख एवं Online Land Records Site www.landrecords.mp.gov.in से Map निकालकर Online Computer में 1:4000 Scale से Measurment कर मिलान किया गया जिसमें नक्शों के आधार पर उक्त पत्थर खदान नवीन उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदित क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खनि रियायत स्वीकृत नहीं है।

MP DEIAA/राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरणीय अनुमति/सम्मति हेतु चाही गई जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(एन. एस. जामो)
खनि सचैयर
जिला उमरिया (म.प्र.)

संकेतनालय
सर्वकारी सेवा सचिवालय,
मध्यप्रदेश
28-ए, "सचिवालय भवन", जयरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं टैक्स- 0755-2551755
E-mail : dfgeomn@mp.nic.in

क्रमांक 8752
सचिवालय/न.क्र 5/उपप0/2018

भोपाल, दिनांक 24/5/18

प्रति,

श्री अतिरिक्त निष्ठा,
आयुज श्री गणेशधर निष्ठा,
निवासी- प्लॉट नं. 29 सुरानी बस्ती,
जिला राहडोल (म.प्र.)

विषय - जिला उमरिया के ग्राम तुम्हीघाट तहसील वाली के खसरा क्रमांक 124 के रकबा 2,383 हे. पर वार्षिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्वारर उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र।

आपके द्वारा जिला उमरिया के ग्राम तुम्हीघाट तहसील वाली के खसरा क्रमांक 124 के रकबा 2,383 हे. पर वार्षिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्वारर कार्य हेतु) उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र 10-वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 7-12-18 जो कलेक्टर कार्यालय उमरिया में प्रस्तुत किया गया था।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा आवेदित क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर, आवेदित क्षेत्र (भूखण्ड नं. 2383) के अंतर्गत 2,383 हेक्टर उत्खनिपट्टा पर स्वीकृति हेतु उपलब्ध पाया गया। तदनुसार प्रस्ताव पत्र क्रमांक 936 दिनांक 23-4-18 द्वारा उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र इस कार्यालय में विद्यमानानुसार निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया।

प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरान्त जिला जिला उमरिया के ग्राम तुम्हीघाट तहसील वाली के खसरा क्रमांक 124 के रकबा 2,383 हे. पर वार्षिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्वारर कार्य हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है। आप इस सैद्धांतिक सहमति पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के अंदर अनुमोदित खनन योजना इस कार्यालय में उपलब्ध करावे। अनुमोदित खनन योजना उपलब्ध बनाने के पश्चात् ही उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किया जा सकेगा।

क्रमांक सचिवालय/न.क्र 5/उपप0/2018

भोपाल, दिनांक

प्रतिनिधि- कलेक्टर (सचिवालय) जिला उमरिया की ओर यह आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक

उपयोगकर्ता : NAVIN

उपकरण : PALIT

जिला : उन्नाव

ब्लॉक : कुशीमोट

नक्शा प्रिंटआउट

NIC-BHUNAKSHA-2.0.0

दिनांक : 15/02/2016 11:17:44 AM

सम, निर्दिष्ट ब्लॉक :

पन्नी

सम : कुशीमोट

पन्ना : 124

वर्ष :

2015 - 2016



उपलब्ध क्षेत्र -

क्षेत्री

समस्या क्र	क्षेत्रफल
124	2.583
कुल क्षेत्रफल	2.583



स्केल 1:4000

समस्या क्र : 124
क्षेत्रफल : 2.583 हे०

शेखर : म. ड. काशी

626

11/2/16

31/3/16

15/4/16

15/2/16

2

निकल जानकारी के लिये संबंधित समस्य देखें

782
Tahsil - कुशीमोट



Abhishek Mishra

कामाख्या ग्राम पंचायत तुम्हीकोट

ग्राम सभा कार्यवाही की नकल

ग्राम सभा का नाम - तुम्हीकोट
 ग्राम सभा का स्थान - पंचायत भवन
 सत्र सभा का समय - 11:00 बजे दिन के
 ग्राम सभा का दिनांक - 26/01/2017

रखे गये विषय	कार्यविन
<p>04:- ग्राम तुम्हीकोट की भासकीम आरती स्वसरां छेनाड 124 कुल रकवा 2.383 हेक्टर पर खनिज पत्थर (फेजर आधारित) उखनिपट्टा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र, छहराव प्रस्ताव दिये जाने वास्तु।</p> <p>जिपलाह सिंह नारायण 26/01/17 सुभासपुर</p> <p>स्वसरां प्रमाणित</p>	<p>उपस्थित सभी ग्राम सभा सदस्यों के समक्ष सुरेश चंद आर्या सिंह द्वारा बताया गया कि कामाख्या कॉलेक्टर (खनिज भाखा) अधिष्ठा (कॉन्ट्रोल) के पत्र क्र/3249/खनिज/अखनिज/मं.क्र.21/2016 अधिष्ठा दिनांक 29/12/2016 के द्वारा श्री अभिषेक मिश्रा श्री मायमठा मिश्रा निवासी कटेनं 29 पुरानि बखी धनाइयत तल्लीर सोहागपुर जिल्हावास्केर (कॉन्ट्रोल) के द्वारा ग्राम तुम्हीकोट के ग्राम तुम्हीकोट में भासकीम प्रोमि आरती स्वसरां 124 कुल रकवा 2.383 हेक्टर पर खनिज पत्थर उखनिपट्टा हेतु अनापत्ति दिनांक 26/01/2017 पर उखनिज पत्र पर अखनिज दिनांक 26/01/2017 दिये जाने हेतु अभिषेक के साथ छहराव प्रस्ताव प्रदाय वास्तु प्रस्तुत हैं।</p>
<p>निर्णय:- उपस्थित ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा सुरेश चंद आर्या सिंह द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर कार्य आशेषित करते हुए नवीन उखनिपट्टा हेतु आवेदन पत्र क्र/3249/खनिज/अखनिज/मं.क्र.21/2016 अधिष्ठा दिनांक 29/12/2016 के द्वारा श्री अभिषेक मिश्रा के दिये जाने हेतु प्रस्ताव स्वसरां प्रमाणित से पारित कर भूमि म कियताही एवं साफर खनिज विभाग को ओर प्रेषित करने का निर्णय लिया।</p>	